जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति — दिनांक 18.09.2024

थाना थानाभवन पुलिस /एसओजी/सर्विलांस टीम की सयुक्त कार्यवाही में अल्प अवधि में थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत हसनपुर लुहारी स्थित सहकारी समिति के गोदाम के चौकीदार की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये हत्या में शामिल 02 हत्याभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से आलाकत्ल 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मो0सा0 व घटना के समय पहने कपड़े बरामद।

दिनांक 17.09.2024 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत हसनपुर लुहारी स्थित सहकारी समिति के गोदाम में ऋषभ पुत्र योगेन्द्र सिंह उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम मारुखेड़ी थाना थानाभवन जो सहकारी समिति के गोदाम पर चौकीदार के पद पर नौकरी कर रहा था जिसका शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, स्थानीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करते हुये, मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। घटना के सम्बन्ध में मृतक के पिता श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा 05 टीमों का गठन कर घटना का शीघ्र अनावरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 18.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस /एसओजी/सर्विलांस टीम की सयुक्त कार्यवाही में थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत हसनपुर लुहारी सहकारी समिति के गोदाम में चौकीदार की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये हत्या मे शामिल 02 हत्याभियुक्त को आलाकत्ल 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस,घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व घटना के समय पहने कपड़े सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण व उद्देश्य:- घटना में गिरफ्तार अभियुक्त अनुराग उर्फ काका पुत्र रामकुमार सैनी निवासी मौहल्ला खैल कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली ने बताया कि मेरा ऋषभ पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम मारुखेडी थाना थानाभवन जनपद शामली के साथ 5-6 महीने से मिलना जुलना था हम दोनो एक साथ बैठकर खा पी लेते थे मै अक्सर समय मिलने पर ऋषभ के पास कादरगढ में दुकान पर चला जाता था। ऋषभ दिन में दुकान ग्राम कादरगढ में करता था तथा रात्रि में ग्राम हसनपुर लुहारी में स्थित सहकारी समिति में गार्ड का काम करता था जब भी मुझे मिलना होता था तो मै दोनो में से किसी भी जगह जाकर मिल लेता था। करीब 10-15 दिन पहले मै ऋषभ के पास कादरगढ स्थित दुकान पर गया था तो ऋषभ द्वारा मुझे बातो बातो में माँ-बहन की गाली दी थी जो मुझे नागवार गुजरी और मुझे बहुत ही बुरा लगा तभी मै घर आकर अपने दोस्त रमन पुत्र मुकेश निवासी मौ0 हाफिज दोस्त कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली से मिला और मैने सारी बात बताई तो रमन कहने लगा कि ऋषभ ने तेरे साथ अच्छा नही किया है मै तेरे साथ हूँ हम दोनो मिलकर ऋषभ से बदला लेगे और

हम दोनो ने ऋषभ को मारने की योजना बनाई । जानकारी हुई की दिनांक 16.09.2024 रात्रि में ऋषभ डयूटी पर आया हुआ है। योजनानुसार हम दोनो रमन की मोटरसाईकिल से 16/17.09.2024 की रात्रि में सहकारी समिति के पास पहुँचे और मोटरसाईकिल बाग के पास खडी कर गोदाम की दीवार कूदकर अन्दर चले गये तो देखा कि ऋषभ दरवाजा बंद कर कमरे में सोया हुआ है तभी रमन बाहर खडा हो गया और मैने दरवाजा खटखटाया जैसे ऋषभ ने दरवाजा खोला तो मैने तमन्चे से ऋषभ के सीने में गोली मार दी और हम दोनो दीवार कूदकर भाग आये औऱ थानाभवन आकर अपने अपने घर चले गये। ऋषभ द्वारा मुझ मां बहन की गन्दी गन्दी गाली दी गई थी। इसी बात से नाराज होकर मैने अपने दोस्त रमन के साथ मिलकर ऋषभ की हत्या की है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.अनुराग उर्फ काका पुत्र रामकुमार सैनी निवासी मौहल्ला खैल कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.रमन पुत्र मुकेश निवासी मौहल्ला हाफिजदोस्त कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.आलाकत्ल 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस।

2.घटना के समय पहने कपड़े।

3.घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल स्प्लेंडर प्लस रजि0न0-UP11CP8131।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 मोटरसाईकिल बरामदः-

दिनांक 17.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान फतेहपुर नहर पटरी से 01 वाहन चोर को चोरी की 05 मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा मोटर साइकिल सीडी डोन रजि0न0- HR05Q3977 थाना कांधला पर पंजीकृत मु0अ0स0 303/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित बरामद हुई है । बरामदशुदा अन्य मोटर साइकिल के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है । अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शमीम पुत्र इकराम निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की मोटर साइकिल स्प्लैन्डर प्लस नम्बर प्लेट UP15AR2455 ।

2.चोरी की मोटर साइकिल सीडी डीलक्स रजि0 न0- UP12AS 5871 ।

3.चोरी की मोटर साइकिल सीडी डील्क्स ड्रूम रजि0 न0-DL4SDW6327 ।

4.चोरी की मोटर साइकिल सीडी डोन रजि0 न0-HR05Q3977 ।

5.चोरी की मोटर साइकिल स्प्लैन्डर प्लस रजि0न0-UP16CN 9112 ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शमीम उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 303/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना काँधला जनपद शामली ।

2.मु0अ0स0 305/24 धारा 317(5)/336(2) बीएनएस थाना काँधला जनपद शामली ।

3.मु0अ0सं0 234/2023 धारा 414 भादवि थाना कांधला जनपद शांमली ।

4.मु0अ0सं0 244/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामंली ।

5.मु0अ0सं0 482/23 धारा 379/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली ।

6.मु0अ0सं0 206/21 धारा 323/76डी/506/34 भादवि थाना कांधला जनपद शामली ।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार व 01 बालअपचारी हिरासत में लिया गया -</u>

आज दिनांक 18.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने व एक बालअपचारी को हिरासत लेने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। घटना के सम्बन्ध में पीडिता के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक 15.09.2024 को थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला को निर्देशित किया गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-</u>

1.सुमित पुत्र रोहताश निवासी ग्राम जिड़ाना थाना कांधला जनपद शामली।
2.विक्की पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम जिड़ाना थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 120 ग्राम चरस बरामदः-

आज दिनांक 18.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही एवं रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से अवैध 120 ग्राम चरस बरामद हुयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मेहरान पुत्र अब्बास निवासी ग्राम गढीदौलत थाना काँधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 120 ग्राम चरस।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 18.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध पोनिया मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नदीम पुत्र अब्दुल खालिद निवासी गोंसा चुंगी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 पोनिया मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

थाना कैराना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 18.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। दिनांक 24.07.2024 को 01 अभियुक्त तसव्वर को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मनव्वर पुत्र युसुफ निवासी ग्राम गोगवान बडा मदरसा के पास थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना गढीपुख्ता व थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 16.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना गढीपुख्ता व थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बनधित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-</u>

1.बिलाल पुत्र बशीर निवासी मौहल्ला कुरेशयान थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.संजय पुत्र बलजौर निवासी ग्राम भाज्जू थाना बाबरी जनपद शामली।

3.अनिल पुत्र बलजोर निवासी ग्राम चूनसा थाना बाबरी जनपद शामली।